संख्या-65/2023/635/छप्पन-2023-18/2002 टी.सी.

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 29 मई, 2023

विषयः- राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य 05 हवाई अड्डों (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षरित O&M (Operation & Management) अनुबन्ध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 35/आर0सी0एस0-2023-जे-2/2019 दिनांक 10 मई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 05 हवाई अड्डों के प्रचालन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को निष्पादित अनुबन्ध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति एयरपोर्ट रु0 2.00 करोड़ की धनराशि जमा कराए जाने हेतु 05 एयरपोर्ट (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के कार्यों हेतु कुल रू0 10 करोड़ (दस करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति एयरपोर्ट से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन हेतु प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि निष्पादित O&M (Operation & management) अनुबन्ध में विहित व्यवस्था के आलोक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-65/2022/1259/001-56-1099-198-2019 दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु रु0 2.00 करोड़ के अनुसार 05 एयरपोर्ट हेतु कुल रु0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की गई, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु खोले गए बैंक एकाउंट में जमा कराया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित 05 हवाई अड्डों के प्रचालन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को निष्पादित अनुबन्ध के आलोक में एयरपोर्ट सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रति एयरपोर्ट रू0 2.00 करोड़ की दर से 05 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) हेतु कुल धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

IX. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य 05 हवाई अड्डों के प्रचालन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) प्रति एयरपोर्ट 02.00 करोड़ की दर से तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, सम्बद्ध 05 एयरपोर्ट (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के निर्वतन पर रखी जाएगी और सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा, लेखा शीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-ई-7-17/दस-2023-24; दिनांक 25 मई, 2023 में प्राप्त उनके सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 65/2023/635(1)/छप्पन-2023-18/2002 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अलीगढ़/ आजमगढ़/ श्रावस्ती/ चित्रकूट एवं सोनभद्र।
4- जिलाधिकारी, अलीगढ़/ आजमगढ़ /श्रावस्ती/ चित्रकूट एवं सोनभद्र।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6- कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।